प्रारूप–1.5

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य प्रस्तावित है। मार्ग कुल लम्बाई 6.00 किमी. है। इस मोटर मार्ग में पड़ने वाले ग्राम बहेड़ा, रहणधार, चौनिया एवं खोबड़ा मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये यहॉ पर कोई भी लिंक मार्ग या सड़क मार्ग नहीं है। जिससे यहॉ की जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है। इस मोटर मार्ग के लिए 2 समरेखन निर्धारित किये गये थे।

समरेखन –1 **यह समरेखन भिकियासैन बाड़ीकोट बेल्टी विनायक मोटर मार्ग किमी0 14 से प्रारम्भ होता है। जिसकी लम्बाई 6.00 किमी. है। जिसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र में 1:50000 में लाल रंग से दर्शाया गया है। समरेखन में ग्राम बहेड़ा, रहणधार, चौनिया व खोबड़ा आदि गॉवों से होकर गुजरता है। उक्त मार्ग के प्रभावित कास्तकारों द्वारा स्वहस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त करा दिया गया है। इस समरेखन में केवल 10 हेयर पिन बैण्ड आ रहे है। ग्रमवासी इस समरेखन से सहमत है।**

समरेखन –2 **यह समरेखन भिकियासैन बाड़ीकोट बेल्ॳी विनायक मोटर मार्ग किमी0 14 से प्रारम्भ होता है। जिसकी लम्बाई 6.00 किमी. है। जिसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र में 1:50000 में नीले रंग से दर्शाया गया है। समरेखन में ग्राम बहेड़ा, रहणधार, चौनिया व खोबड़ा आदि गॉवों से होकर गुजरता है। उक्त मार्ग के प्रभावित कास्तकारों द्वारा स्वहस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त करा दिया गया है। इस समरेखन में केवल 11 हेयर पिन बैण्ड आ रहे है। समरेखन में लम्बाई बढ़ने एवं कुछ गॉव छूट जाने के कारण ग्रमवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है तथा अपनी नाप भूमि देने में सहमत नहीं है।**

उपर्युक्त दोनों समरेखनों के अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा समरेखन–1 में न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती है तथा वन भूमि के अतिरिक्त निर्माण काय्र कोई और विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने हेतु परियोजना को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा